

तत्काल
तिथिबद्ध

क्रमांक 46/5/1993-5पोल
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग
राजनैतिक शाखा

दिनांक चण्डीगढ़, 20 सितम्बर, 2024

सेवा में

1. आयुक्त, अम्बाला, करनाल, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम तथा हिसार मण्डल ।
2. हरियाणा के सभी उपायुक्त ।

विषय : 23 सितम्बर, 2024 को 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' मनाने बारे ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 9/5/82-5पोल, दिनांक 28 जुलाई, 1982 की ओर दिलाते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है, कि सरकार ने निर्णय लिया है कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करते हुये गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 23 सितम्बर का दिन 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' के रूप में मनाया जाये।

भवदीय
अशोक
(अशोक कुमार)
अधीक्षक राजनैतिक

पृ0 क्रमांक 46/5/1993-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़, 20 सितम्बर, 2024

एक-एक प्रति हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजी जाती है।

अशोक
अधीक्षक, राजनैतिक

पृ0 क्रमांक 46/5/1993-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़, 20 सितम्बर, 2024

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-

1. एक-एक प्रति माननीय मुख्य मंत्री/माननीय मुख्य मंत्री के मुख्य प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव-II/विशेष कार्य अधिकारी (विवेक कालिया)/विशेष कार्य अधिकारी (विरेंद्र सिंह)/विशेष कार्य अधिकारी (सुधांशु गौतम)/विशेष कार्य अधिकारी (संजय बठला)/सलाहकार, आर0म0/मुख्यमंत्री कार्यालय/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के मुख्य स्टाफ अधिकारी/विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिवों/सचिवों/निजी सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है।

2. अवर सचिव, हरियाणा सरकार, न्यायाचार एवं प्रचार विभाग।

अशोक
अधीक्षक, राजनैतिक

पृ0 क्रमांक 46/5/1993-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़, 20 सितम्बर 2024

एक प्रति महानिदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई के लिये भेजी जाती है।

अशोक
अधीक्षक, राजनैतिक

पृ0 क्रमांक 46/5/1993-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़, 20 सितम्बर 2024

एक प्रति मुख्य स्टाफ अधिकारी/मुख्य मंत्री महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजी जाती है।

अशोक
अधीक्षक, राजनैतिक